न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 71 / 2019 **दायरा दिनांक : 27.05.2019**

उनवान

1 बरजीबाई पुत्री फूलनाथ उर्फ फूल्या पत्नी मांगीलाल, जाति नाथ, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2 भंवर लाल आत्मज रामचन्द्र योगी पुत्र पुष्पाबाई पुत्री फूल्या, जाति नाथ, निवासी रटावद, तहसील बारां, जिला बारां

3 बंशीलाल आत्मज बाबूलाल पुत्र पुष्पाबाई, जाति नाथ, निवासी प्रेमनगर, कोटा

4 पप्पू आत्मज बाबूलाल पुत्र पुष्पाबाई, जाति नाथ, निवासी प्रेमनगर, कोटा

5 तोलाराम आत्मज अमरलाल पुत्र नुरकां बाई, जाति नाथ निवासी कोयला, तहसील बारां, जिला बारां

6 प्रेम बाई पत्नी शिवप्रसाद पुत्री नुरकां बाई, जाति नाथ निवासी जगपुरा, जिला कोटा

7 चन्द्रकला पत्नी ओम प्रकाश पुत्री नुरकां बाई, जाति नाथ निवासी जगपुरा, जिला कोटा

8 कलावती पत्नी रामलाल पुत्री नुरकां बाई, जाति नाथ निवासी जगपुरा, जिला कोटा

9 इन्द्रा बाई पत्नी रामलाल पुत्री नुरकां बाई, जाति नाथ निवासी जगपुरा, जिला कोटा

10 शंकरलाल आत्मज लटूर लाल पुत्र कन्या बाई, जाति नाथ, निवासी नान्ता, जिला कोटा

11 राजू आत्मज लटूर लाल पुत्र कन्या बाई, जाति नाथ, निवासी सारोला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

12 रामकिशन आत्मज लदूरलाल पुत्र कन्या बाई, जाति नाथ, निवासी केशोपुरा, जिला कोटा

13 गीता बाई पुत्री कन्या बाई, जाति नाथ, निवासी जीरापुरा मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1 भूलीबाई पत्नी भंवरलाल पुत्री फूलनाथ उर्फ फूल्या, जाति नाथ, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2 रामप्रसाद दत्तक पुत्र गोपाल, जाति नाथ

3 चतरभुज आत्मज शंकर, जाति नाथ

4 मांग्या आत्मज भैरूनाथ, जाति नाथ

5 परमानन्द आत्मज भैरूनाथ, जाति नाथ

6 प्रहलाद आत्मज भैरूनाथ, जाति नाथ

7 कंचन पुत्री भैरूनाथ, जाति नाथ

8 नटी पुत्री भैरूनाथ, जाति नाथ

9 कन्हैया लाल आत्मज हीरानाथ, जाति नाथ

10 श्रीकृष्ण आत्मज हीरानाथ, जाति नाथ

11 रामप्रसाद आत्मज मोतीलाल, जाति नाथ

12 कस्तूरी बेवा मोतीलाल, जाति नाथ

13 राजू बाई पुत्री मोतीलाल, जाति नाथ

14 मांगीलाल आत्मज श्री कृष्ण ,जाति नाथ

15 जानकीलाल पुत्र कान्हा, जाति नाथ निवासी सुखनेरी

16 कंवर लाल आत्मज कान्हा, जाति नाथ निवासी सुखनेरी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

17 प्रेम बाई पत्नी प्रहलाद, जाति नाथ, निवासी बिलेण्डी

18 कंवर लाल आत्मज मोतीलाल, जाति माली, निवासी बिलेण्डी

19 जितेन्द्र कुमार आत्मज बाबूलाल, जाति नाथ

20 मोरबाई पुत्री बाबूलाल, जाति नाथ

21 ममता बाई पुत्री बाबूलाल, जाति नाथ

22 अनिता बाई पुत्री बाबूलाल, जाति नाथ

23 कमला बाई बेवा बाबूलाल, जाति नाथ

24 रामप्रसाद आत्मज माधो, जाति नाथ निवासी बिलेण्डी

25 रूकमण्डी बाई पुत्री नेनगा, जाति नाथ निवासी बिलेण्डी

26 कंचन बाई पुत्री नेनगा, जाति नाथ निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद

27 शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा हरनावदा शाह जी

28 शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडोदा शाखा छीपाबडोद

29 शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल

30 बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा छीपाबडोद

31 भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड

32 भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना बारां

33 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हुकम चन्द जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री आर पी गोयल

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 16.09.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 57/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज करने में कानूनी भूल की है । आदेश 7 निवासी 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दावे को तथा दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्णय किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के सर्वमान्य सिद्धांतों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है । प्रतिवादीगण को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित था कि विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें जन्म से ही उनके हक उत्पन्न हो गये हैं यह एक विधि का प्रश्न है जिसे वाद की विधिवत व नियमित सुनवायी कर जवाबदावा प्रस्तुत होने तथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य आदि कर अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । फूलनाथ द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का दान पत्र एक पुत्री के हक में किया है जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है जिसे प्रभावशून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है । वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से वाद कारण अंकित किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी व बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसको सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है इस तथ्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा खातेदार व विभाजन के वाद को मियाद बाहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

मानने में कानूनी भूल की है क्योंकि घोषणा व विभाजन के वाद में कानूनन कोई मियाद नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2019 निरस्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा न्यायालय में रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करवाने हेतु दावा पेश किया। जो सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र निरस्त करवाने हेतु दावा 38–39 साल बाद पेश किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वाद कारण किस तिथि, साल सम्मत को हुआ दर्ज नहीं किया गया इस प्रकार वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत कि गई है उसमें कोई भी कानूनी बिन्दु निहित नही है, वर्ष 2005 के बाद मृतक खातेदार की सम्पति में पुत्रियों का अधिकार माना गया है। मृतक खातेदार फूलनाथ द्वारा अपने जीवन काल में अपनी जायदाद का हिब्बा नामा रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से अपनी सबसे छोटी पुत्री भूलीबाई रेस्पोडेन्ट कम 1 को किया गया है। जिसके आधार पर वर्तमान में वादग्रस्त आराजी भूलीबाई के खाते मृतक खातेदार द्वारा भूलीबाई के पक्ष में हिब्बानामा व रजिस्टर्ड विकय पत्र सन्1981 के है। मूल खातेदार फूलनाथ के जीवन काल में एवं उसकी मृत्यु के बाद आज तक पंजीकृत दस्तावेजों को सक्षम सिविल न्यायालय में वादीगण द्वारा निरस्त नही करवाया गया जबतक भूलीबाई के हक में किये गये

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पंजीकृत दस्तावेजों को वादीगण निरस्त नहीं करवा लेते राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पूर्ण विवेचना कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया गया है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नही होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मृतक खातेदार फूलनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी जायज़ाद का हिब्बानामा/विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से अपनी सबसे छोटी पुत्री अप्रार्थी कम 1 भूली बाई को किया है जिसके आधार पर वर्तमान में भूमि रेस्पोडेंट कम 1 की खातेदारी में दर्ज है । वादीगण द्वारा यदि अपना हिस्सा प्राप्त करना ही था तो मृतक फूलनाथ के फोती इंतकाल की अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी एवं मृतक फूलनाथ द्वारा अपनी पुत्री भूलीबाई के पक्ष में जिस रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि दी गई थी उसको निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के तहत जो दावा खारिज किया है, वह उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा